

**फॉर्म प्रहकाम**

(नियम 26)

अज्ञ अदालत श्री. कि. हा. कलेक्टर मुकाम शेह

श्री. जी वनाम तह. देवली

किस्म मुकदमा अपील नं. ६० ४ ६०  
२०१३ २०१५ २७-८-१३

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज्ञ</p>	<p>नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	--	---

15.07.2013 अपीलान्त श्री श्री. जी ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट-90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।

*(Signature)*  
 बतिरक्त जिला कलेक्टर  
 टोंक

21/8/13

पत्रावली अति.जिला कलेक्टर टोंक न्यायालय से प्राप्त होने एवं मंगालिपिक कर्मचारी आवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई। अभिभाषक संध द्वारा न्यायिक कार्य श्यागित रखा गया।  
 P.O. साहब अन्य राज कार्यों में व्यस्त है पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो। शेह

<p>तारीख वृत्त</p>	<p>वृत्त या कार्यवाही का समय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस वृत्त की तामील में जारी हुए</p>
<p>23.2.12</p>	<p>पत्रावली पेश। राजकीय पत्रकार (रेस्पेण्डण्ट) की अपीनाई व उनके अधिकाधिक अनुप। अपील एवं उनके अधिकाधिक को बार-बार आमज लम्बाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अब अपील अधिकाधिक अच्छ हाजरी-अदरकेंद्री में रजिस्ट्रि की जाती हैं। फायदा मिलने शुरू होकर बाद तकनीक दायित्व दफ्तर हो रहे</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर दोंड</p>	